

## छत्तीसगढ़ ने दरज की सर्वाधिक GST वृद्धिदर

### चर्चा में क्यों?

**वस्तु एवं सेवा कर (GST)** संग्रह वृद्धि में छत्तीसगढ़ देश में शीर्ष पर रहा, जिसमें पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में **18% की वृद्धिदरज** की गई।

### मुख्य बटु

#### ■ छत्तीसगढ़ की GST वृद्धिके पीछे के कारक:

##### ○ GST संग्रह में वृद्धि:

- वित्त वर्ष 2024-25 के लिये छत्तीसगढ़ का कुल GST और **VAT (मूल्य वृद्धि कर)** राजस्व 23,448 करोड़ रुपए तक पहुँच गया, जो राज्य के स्वयं के कर संग्रह का लगभग 38% है।

- **VAT:** बेची गई वस्तुओं पर कर, आपूर्ति शृंखला के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है। यह उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जिन्हें GST व्यवस्था से बाहर रखा गया है जैसे मादक पेय, पेट्रोलियम उत्पाद आदि।

- कर राजस्व में यह तीव्र वृद्धि इसके नीतगत उपायों और प्रवर्तन रणनीतियों की प्रभावशीलता को उजागर करती है।

#### ■ सुव्यवस्थित GST पंजीकरण प्रक्रिया:

- इस सफलता में योगदान देने वाले प्रमुख सुधारों में से एक है GST पंजीकरण समय को **13 दिनों से घटाकर सिर्फ 2 दिन करना**, जिससे छत्तीसगढ़ में व्यापार करने में आसानी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है

#### ■ प्रौद्योगिकी-आधारित नगिरानी और प्रवर्तन:

- राज्य ने चोरी किये गये करों की नगिरानी और वसूली के लिये उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है।
- लक्ष्यित अभियान और उन्नत प्रवर्तन कार्रवाइयाँ, जैसे कि सभी 33 ज़िलों में GST कार्यालयों की स्थापना, ने पारदर्शिता और बेहतर करदाता सेवाएँ सुनिश्चित की हैं।

## वस्तु एवं सेवा कर (GST)

#### ■ परिचय:

- GST एक मूल्यवृद्धि कर प्रणाली है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।
- यह एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जिसे भारत में **1 जुलाई, 2017** को **101 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016** के माध्यम से 'एक राष्ट्र एक कर' के नारे के साथ पेश किया गया था।

#### ■ GST परिषद:

- परिषद: GST परिषद, अनुच्छेद 279-A (101वाँ संशोधन, 2016) के तहत एक **संवैधानिक निकाय**, GST कार्यान्वयन पर अनुशंसाएँ करता है।
  - GST एक **मूल्यवृद्धि (एड वैलोरम)** और **अप्रत्यक्ष कर प्रणाली** है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।
- सदस्य: परिषद में **केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष)**, केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) और प्रत्येक राज्य से एक वित्त या कोई अन्य मंत्री शामिल होते हैं।
- नरिणयों की प्रकृति: मोहित मनिरल्स मामले, 2022 में, सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय सुनाया कि GST परिषद की अनुशंसाएँ बाध्यकारी नहीं हैं, क्योंकि संसद और राज्यों के पास GST पर एक साथ वधायी शक्तियाँ हैं।

## वस्तु और सेवा कर (GST) परिषद के विषय में :

- 2016 में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद वस्तु और सेवा कर व्यवस्था लागू हुई
- राष्ट्रपति द्वारा संशोधित अधिनियम के अनुच्छेद 279A(1) के अनुसार GST परिषद का गठन किया गया
- यह एक संवैधानिक निकाय है
- यह परिषद, केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है
- अनुच्छेद 279A के अनुसार परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे-
  - केंद्रीय वित्त मंत्री - अध्यक्ष
  - केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) - सदस्य
  - वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री - सदस्य
- गौरतलब है कि देशभर में 1 जुलाई को GST दिवस के रूप में मनाया जाता है

DAILY  
CURRENT NEWS



PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/chhattisgarh-registered-the-highest-gst-growth-rate>

